Date – 13 July 2022

विश्व जनसंख्या संभावना (WPP) रिपोर्ट 2022

- संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना (WPP) रिपोर्ट के 2022 संस्करण के अनुसार, भारत के वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है।

विश्व जनसंख्या संभावनाएं:

- संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या प्रभाग 1951 से द्विवार्षिक रूप से WPP प्रकाशित कर रहा है।
- WPP का प्रत्येक संशोधन वर्ष 1950 से शुरू होने वाले जनसंख्या संकेतकों की एक ऐतिहासिक समय श्रृंखला प्रदान करता है।
- यह प्रजनन, मृत्यु दर या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में पिछले रुझानों के अनुमानों को संशोधित करने के लिए नए जारी किए गए राष्ट्रीय डेटा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है।

रिपोर्ट निष्कर्ष:

जनसंख्या वृद्धि: लेकिन विकास दर कम

- वैश्विक जनसंख्या के 2030 में लगभग 5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- 1950 के बाद पहली बार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 1% प्रति वर्ष से नीचे गिर गई।

देशों और क्षेत्रों में दरें बहुत भिन्न होती हैं:

- वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक **केवल आठ देशों में केंद्रित होगा:**
- **ये हैं-** कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया।
- 46 सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) दुनिया में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि वाले देशों में से हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि में संसाधनों और चुनौतियों पर अतिरिक्त दबाव का सामना करते हुए, कई देशों की जनसंख्या 2022 और 2050 के बीच दोगुनी होने का अनुमान है।

बढ़ती बुजुर्ग आबादी :

- 65 या उससे अधिक आयु की वैश्विक आबादी का हिस्सा 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है।

जनसांख्यिकीय विभाजन:

- प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट के कारण कामकाजी उम्र की आबादी (25 से 64 वर्ष के बीच) में वृद्धि हुई है, जिससे प्रति व्यक्ति त्वरित आर्थिक विकास के अवसर पैदा हुए हैं।
- आयु वितरण में यह परिवर्तन त्वरित आर्थिक विकास के लिए एक समयबद्ध अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन:

- कुछ देशों की जनसंख्या प्रवृत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है।
- उच्च आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का योगदान 2000 और 2020 के बीच जन्म-मृत्यु के संतुलन से अधिक हो गया है।

- अगले कुछ दशकों में उच्च आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र कारण प्रवासन होगा।

भारत से संबंधित निष्कर्ष:

- वर्ष 1972 में भारत की विकास दर 3% थी, जो अब घटकर 1% से भी कम हो गई है।
- प्रत्येक भारतीय महिला के अपने जीवनकाल में बच्चों की संख्या लगभग 4 से घटकर अब 2.1 से भी कम हो गई है।
- इसका मतलब यह है कि भारत ने प्रतिस्थापन प्रजनन दर हासिल कर ली है जिस पर एक आबादी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खुद को बदल लेती है।
- प्रजनन दर में गिरावट आ रही है, इसलिए स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा में प्रगति के साथ मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।
- 0-14 वर्ष और 15-24 वर्ष की जनसंख्या में गिरावट जारी रहेगी, जबकि आने वाले दशकों में 25-64 और 65+ की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी।
- उत्तरोत्तर पीढ़ियों के लिए समय से पहले मृत्यु दर में यह कमी, जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के बढ़े हुए स्तरों में परिलक्षित होती है, भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक कारक रही है।

पहल:

- वृद्ध आबादी वाले देशों को सार्वजनिक कार्यक्रमों को वृद्ध लोगों के बढ़ते अनुपात के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रणालियों की स्थिरता में सुधार और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल प्रणालियों की स्थापना शामिल है।
- अनुकूल आयु वितरण के संभावित लाभों को अधिकतम करने के लिए, देशों को सभी उम्र में स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके और उत्पादक रोजगार और अच्छे काम के अवसरों को बढ़ावा देकर अपनी मानव पूंजी के विकास में निवेश करने की आवश्यकता है।
- पहले से ही 25-64 आयु वर्ग के लोगों को कौशल की आवश्यकता होती है, जो यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि वे अधिक उत्पादक हैं और बेहतर आय अर्जित करते हैं।
- 65+ आयु वर्ग बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे भावी सरकारों के सामने संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। अगर बुजुर्ग परिवार के ढांचे के भीतर रहते हैं, तो सरकार पर बोझ कम हो सकता है। "अगर हम अपनी जड़ों

या परंपराओं में वापस जाते हैं और एक परिवार के रूप में रहते हैं (पश्चिमी प्रवृत्ति के व्यक्तिवाद के विपरीत), तो चुनौतियां कम होंगी।

स्वदीप कुमार

G20 के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक

- इंडोनेशिया के 'बाली' शहर में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों और स्टेट काउंसलर के बीच अलग-अलग बैठक हुई।
- इस बैठक में भारत और चीन के दोनों पक्षों ने अप्रैल 2020 में शुरू हुए सीमा गतिरोध को हल करने पर चर्चा की।
- बैठक में भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देने और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भारत में चीनी कंपनी वीवो के कार्यालयों की तलाशी लेने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु:

- **तीन पारस्परिक पहलू:** भारत-चीन संबंध तीन पारस्परिक पहलुओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से **व्यक्त किए जाते हैं:**
- परस्पर आदर
- आपसी संवेदनशीलता
- आपसी हित

भारत-चीन वार्ता:

- **शीघ्र समाधान:** विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से संबंधित सभी शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान का आह्वान किया।
- **पूर्ण वापसी:** विदेश मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति बहाल करने के लिए शेष सभी क्षेत्रों से 'पूर्ण रूप से विघटन' की गति बनाए रखने की आवश्यकता को दोहराया।
- **सैन्य और राजनयिक स्तरों पर नियमित संपर्क:** दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि उन्हें 'चुशुल मोल्दो सीमा बिंदु' पर सैन्य और राजनयिक बैठकों और वरिष्ठ कमांडरों की बैठक में नियमित संपर्क जारी रखना चाहिए। अगले 16वें दौर का इंतजार करना चाहिए।
- **चीन द्वारा एलएसी का कोई उल्लेख नहीं:** चीनी बयान (रीडआउट) ने 'एलएसी संकट' का कोई उल्लेख नहीं किया, इसके बजाय दोनों पक्षों से "समन्वय और सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त रूप से अधिक लोकतांत्रिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों और एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय संबंध को मजबूत करने" का आह्वान किया। व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई टिप्पणियों पर जोर दिया।
- **दोनों पक्षों ने संवाद बनाए रखा:** चीन ने कहा कि दोनों पक्षों ने अब तक "संचार और आदान-प्रदान बनाए रखा है" और "प्रभावी ढंग से मतभेदों को प्रबंधित किया है"।
- **सुनिश्चित समर्थन:** चीन ने भारत के आगामी जी20 और एससीओ अध्यक्ष पद के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा:

- 'वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी)' वह सीमांकन है, जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है।
- एलएसी पाकिस्तान के साथ लगी 'नियंत्रण रेखा' (एलओसी) से अलग है। कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा बातचीत की गई 1948 की युद्धविराम रेखा से एलओसी निकला है।
- भारत-पाकिस्तान, दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद 1972 में इसे नियंत्रण रेखा के रूप में नामित किया गया था। इस रेखा को दोनों सेनाओं के 'सैन्य अभियानों के महानिदेशक' (डीजीएमओ) द्वारा हस्ताक्षरित एक मानचित्र पर दर्शाया गया है और इस कानूनी समझौते को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त है।

- इसके विपरीत, 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (एलएसी) केवल एक अवधारणा है। इस रेखा पर भारत और चीन दोनों में सहमति नहीं है, न ही इसे मानचित्र पर दर्शाया गया है, न ही इसे जमीन पर सीमांकित किया गया है।
- भारत 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' को 3,488 किमी लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे केवल 2,000 किमी के आसपास मानते हैं।

जी-20 समूह:

- यह 19 देशों और यूरोपीय संघ (ईयू) का एक अनौपचारिक समूह है, जिसे 1999 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ स्थापित किया गया था।
- जी-20 सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है।
- जी-20 समूह में विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो विश्व की आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं।
- G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है और सचिवालय प्रत्येक वर्ष उन देशों के बीच घूमता है जो समूह की मेजबानी या अध्यक्षता करते हैं।
- सदस्यों को रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के साथ पांच समूहों में बांटा गया है (भारत समूह 2 में है)।
- जी-20 एजेंडा, जो अभी भी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय राज्यपालों के मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, को 'शेरपा' की एक निर्धारित प्रणाली के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है, जो जी-20 नेताओं के विशेष दूत होते हैं।
- वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत के वर्तमान "G20 शेरपा" हैं।
- जी-20 की एक अन्य विशेषता 'ट्रोइका' बैठकें हैं, जिसमें पिछले वर्ष, चालू वर्ष और अगले वर्ष में जी-20 की अध्यक्षता करने वाले देश शामिल हैं। वर्तमान में ट्रोइका में इटली, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं।

स्वदीप कुमार

राजद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ क्या है ?

- सर्वोच्च न्यायालय ने मई, 2022 में एक ऐतिहासिक निर्णय में आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह कानून से संबंधित सभी लंबित सुनवाइयों, अपीलों और कार्यवाहियों पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक केंद्र सरकार इसके प्रावधानों की पुनः जांच नहीं कर लेती।
- मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि न्याय के लिए आशा की जाती है कि राज्य व केंद्र सरकार आईपीसी की धारा 124 ए के विचाराधीन रहने के दौरान इस कानून के अंतर्गत कोई नई प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करें।
- देश की 'सुरक्षा व अखंडता' एवं 'नागरिक स्वतंत्रता' के मध्य संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है, तो प्रभावित पक्ष उचित राहत के लिए संबंधित अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं।

वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएं

राजद्रोह कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि केदार नाथ वाद में न्यायालय द्वारा दी गई राजद्रोह की सीमित परिभाषा को कई अन्य कानूनों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) जैसे कड़े आतंकवाद विरोधी कानून शामिल हैं।

इस निर्णय के निहितार्थ क्या हैं ?

- राजद्रोह कानून की वैधानिकता के संबंध में न्यायालय का यह हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि यह न्यायालय इस कानून को रद्द करता है, तो उसे केदार नाथ वाद में दिए गए फैसले को रद्द करना होगा।
- हालाँकि, यदि सरकार कानून की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, तो ऐसी स्थिति में या तो वह इस कानून की भाषा में फेरबदल करेगी या इसे निरस्त करेगी। यदि सरकार इस कानून में कुछ सीमित संशोधन करती है तब ऐसी स्थिति में यह कानून एक भिन्न रूप में दोबारा लागू हो सकता है।

सेक्शन 124ए के तहत राजद्रोह क्या है ?

- भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करे या पैदा करने का प्रयास करे अथवा असंतोष (Disaffection) उत्पन्न करे या करने का प्रयास करे तो वह राजद्रोह का आरोपी होगा।
- राजद्रोह एक गैर-जमानती अपराध है और इसके लिए 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा तथा जुर्माने (या दोनों) का प्रावधान है।

सेक्शन 124ए के समर्थन में तर्क

- आईपीसी की धारा 124ए की उपयोगिता राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में है। यह चुनी हुई सरकार को हिंसा एवं अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से सुरक्षा प्रदान करता है।
- कानून द्वारा स्थापित सरकार की निरंतरता व अस्थिरता राज्य के विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
- यदि अदालत की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, तो सरकार की अवमानना के लिए दंड आखिर क्यों नहीं होना चाहिए।

सेक्शन 124ए के विरोध में तर्क

- सेक्शन 124ए औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है एवं लोकतंत्र में अनुपयुक्त है। साथ ही यह संविधान द्वारा प्रदान की गयी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में एक बाधा है।
- सरकार की असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मजबूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्व हैं। इन्हें राजद्रोह नहीं माना जाना चाहिए।
- धारा 124ए के तहत 'असंतोष' (disaffection) जैसे शब्द अस्पष्ट स्वरूप के (vague) हैं तथा इनकी क्या व्याख्या की जाएगी यह जांच अधिकारी के स्वविवेक एवं समझ पर निर्भर करता है।
- कई बार राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए राजद्रोह कानून का एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग किया जाता है।

मुकुंद माधव

भारत में ऊर्जा निर्धनता

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने संवहनीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं और उत्पादों तक पहुँच की कमी के रूप में ऊर्जा निर्धनता (Energy Poverty) को परिभाषित किया है। विकास का समर्थन करने के लिये पर्याप्त, सस्ती, विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ऊर्जा सेवाओं की कमी को सभी परिस्थितियों में पाया जा सकता है।

- 'ऊर्जा को सभ्यता के इंजन के रूप में जाना जाता है', परन्तु इसके बावजूद वर्तमान समय में दुनिया में सभी के लिये एकसमान रूप से पर्याप्त और वहनीय स्रोतों तक पहुँच उपलब्ध नहीं है। वैश्विक उर्जा संघर्ष के सापेक्ष अकेले दक्षिण एशिया में ही 1 बिलियन से अधिक लोग ऊर्जा की आवश्यक आपूति के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- ऊर्जा उपयोग मूलभूत रूप से मानव विकास से परस्पर-सम्बंधित है। ऊर्जा की आवश्यकता बुनियादी मानवीय ज़रूरतों की पूर्ति के लिये आवश्यक है जैसे कि स्वच्छ हवा, उत्तम स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल, शिक्षा और मानवाधिकार इत्यादि के लिए होती है। इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिये भी उर्जा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, परन्तु विश्व भर में चल रहे भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण वर्तमान समय में ऊर्जा लागतें आसमान छू रही हैं।
- भारत में आधुनिक उर्जा संसाधनों जैसे कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) क्रांतियों के बावजूद अभी भी भारत में विशेषकर ग्रामीण भारत में उर्जा टक पहुँच अभी भी सीमित बनी हुई है।
- भारत को उर्जा निर्धनता से निपटने के लिए उर्जा के विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करना होगा ताकि उर्जा संकट और उर्जा निर्धनता से निपटा जा सके।

भारत में ऊर्जा निर्धनता:

- भारत में भूमिगत पाइपलाइनों जैसे आधुनिक ऊर्जा अवसंरचनाओं की कमी के कारण बिजली संयंत्रों, पारेषण लाइनों, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधनों के वितरण में समस्या के कारण ऊर्जा निर्धनता की स्थिति बनी है।
    - भारत में लोग आज भी खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग लकड़ी ईंधन, काष्ठ कोयला, पराली और लकड़ी के छर्रों जैसे पारंपरिक बायोमास पर अत्यधिक निर्भर हैं।

- भारत बिजली कनेक्टिविटी रहित लोगों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है, जबकि नाइजीरिया भारत के बाद दूसरे स्थान पर है, एवं नाईजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है।
- नाइजीरिया के तेल क्षेत्रों में उत्पादित प्राकृतिक गैस का अधिकांश भाग जलकर हवा में उड़ जाता है, क्योंकि नाइजीरिया में प्राकृतिक गैस के संग्रहण या वितरण हेतु अवसंरचना का अभाव है।

- ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा की अनुपातहीन रूप से उच्च क्षति ऊर्जा निर्धनता का एक प्रमुख कारक है।
  - ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 1 अंक की वृद्धि से ऊर्जा निर्धनता दर में 0.21% की गिरावट आती है, इस प्रकार ऊर्जा निर्धनता में ऊर्जा दक्षता का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है।
- सस्ते और स्थानीय रूप से उपलब्ध ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार भारत में बहुताधिक मात्र में पाए जाते हैं और ये संसाधन स्वच्छ या कुशल ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, आय और विकास के निचले स्तर पर स्थित ये परिवार ऊर्जा की सीढ़ी की सबसे निचले पायदान होते हैं।
- वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले कारणों में भू-राजनीतिक अस्थिरता भी शामिल है।
  - यूक्रेन संघर्ष के बाद ऊर्जा की कीमतों में हुई भारी वृद्धि के कारण 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत का तेल आयात बिल बढ़कर 119 बिलियन डॉलर का हो गया।

YOJNA IAS

भारत में आय निर्धनता और ऊर्जा निर्धनता के बीच सम्बन्ध:

- आय निर्धनता का एक महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा निर्धनता को भी माना जाता है।
  - देश में औद्योगिक और कृषि विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए बिजली जैसी ऊर्जा सेवाओं का प्रावधान बनाया गया है।
  - उर्जा के स्रोतों में वृद्धि और विकास रोजगार के वृहत स्तर और उद्यमशीलता के अवसरों के संदर्भ में आजीविका के अवसरों की वृद्धि करते हैं।
  - उन्नत उर्जा का उपयोग गरीब परिवारों की आय में वृद्धि और उच्च आय का स्रोत बनेंगी।

- गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की अपेक्षा में गरीबी रेखा से निचे रहने वाले लोग (शहरी और ग्रामीण दोनों) अपने कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा ईंधन प्राप्त करने पर खर्च करते हैं।
    - गरीबी रेखा से निचे रहने वाले परिवारों के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से परिवारों के लिये नियमित रूप से स्वच्छ ऊर्जा ईंधन तक पहुँच होना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

ऊर्जा निर्धनता को कम करने के उपाय

- ऊर्जा पहुँच, निर्धनता और सुरक्षा जैसे विषयों पर **G20** और **ब्रिक्स** (BRICS) जैसे शक्तिशाली मंचों को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा पहुँच एवं न्याय और ऊर्जा एवं जलवायु पर विशेष रूप से समर्पित वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन स्थापित किया जाना चाहिये।
- ऊर्जा, आय और लिंग असमानता के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से स्थापित करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच ऊर्जा अंतर को दूर करने हेतु नीतिनिर्माताओं एवं अन्य प्रासंगिक हितधारकों की सुविधा के लिये अंतर घरेलू और सामूहिक विभेदों का डेटा एकत्र करना महत्त्वपूर्ण है ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच ऊर्जा अंतर को दूर किया जा सके।
- नवीकरणीय स्रोतों (सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि) से उत्पन्न ऊर्जा स्वच्छ, हरित और अधिक संवहनीय होगी।
    - नवीकरणीय स्रोतों से संबद्ध परियोजनाएँ निम्न कार्बन विकास रणनीतियों में भी सकारात्मक योगदान दे सकती हैं और देश की कामकाजी आबादी के लिये रोज़गार के अवसर उत्पन्न करेंगी।
- भारतीय परिवारों को ऊर्जा कुशल मशीनरी और सब्सिडी प्रदान करने के लिये ऊर्जा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा वित्त क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध आवश्यक है।
    - ऊर्जा निर्धनता को कम करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय संस्थानों को एक साथ आने और सामूहिक पेशकश के रूप में सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।

- सब्सिडी के संबंध में जागरूकता अभियान और प्रौद्योगिकीय प्रगतियों से संबंधित शिक्षण का प्रसार समाज के निचले पायदान तक किये जाने की आवश्यकता है ताकि कुशल ऊर्जा उपभोग के प्रति जागरूकता की वृद्धि हो।
- नीतियों के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति की निगरानी करने के लिये एक निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

रवि सिंह

आर्थिक संकट और राजनैतिक अस्थिरता में श्रीलंका

संदर्भ क्या है ?

- श्रीलंका में आर्थिक कुप्रबंधन और भुगतान संतुलन की समस्या ने यहाँ आर्थिक अस्थिरता को जन्म दिया है जिसके परिणामस्वरूप राजनैतिक संकट भी गंभीर हो गया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से गिरता जा रहा है और देश के लिये आवश्यक ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान में समस्याएं आ रही हैं।
- इसी कारण सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हुए हैं और स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन तक को कब्जे में ले लिया, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगा दी।

आर्थिक संकट के कारण

- श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है, जिसे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था और आधिकारिक तौर पर इसका नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, यहां की आबादी लगभग सवा दो करोड़ है. लेकिन, देश में आतंकवादी हमले और कोरोना महामारी के साथ राजनीति भ्रष्टाचार ने देश को दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया।
- श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए चीन भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। उसने श्रीलंका की अवसंरचना विकास के लिए भारी भरकम मात्रा में ऋण प्रदान किया, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चीनी कंपनियों ने ही ठेका लिया। हंबनटोटा पोर्ट को श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था का बोझ माना जा रहा है. इसके अलावा दूसरी महंगी

परियोजनाओं के चलते भी श्रीलंका पर चीन का कर्ज़ बढ़ रहा है । यह परियोजनाएं अनुत्पादक और अलाभकारी रहीं जिससे श्रीलंका कर जाल में उलझता गया है ।

- श्रीलंका में राजनीतिक भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है, इसने न केवल देश के धन को बर्बाद करने में भूमिका निभाई, बल्कि इसने श्रीलंका के लिए किसी भी वित्तीय बचत को भी जटिल बना दिया।
- इस देश में आम तौर पर खाधान्न की कमी नहीं है, लेकिन अब लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा है। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार 10 में से 9 परिवार अपने भोजन को बचाने के लिए भोजन छोड़ रहे हैं या कंजूसी कर रहे हैं, जबकि 30 लाख आपातकालीन मानवीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।
- गृहयुद्ध के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत अधिक था और वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने उसके विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण देश को वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष से 2.6 बिलियन डॉलर का ऋण लेना पड़ा था।
- जब श्रीलंका में वर्ष 2009 में गृहयुद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के बाद की उसकी जीडीपी वृद्धि वर्ष 2012 तक प्रति वर्ष 8-9% के उच्च स्तर पर बनी रही, परन्तु निर्यात में गिरावट, आयात में वृद्धि और वैश्विक कमोडिटी मूल्यों में गिरावट के साथ वर्ष 2013 के बाद उसकी औसत जीडीपी विकास दर घटकर लगभग आधी रह गई।
- वर्ष 2016 में श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष से फिर से 1.5 अरब डॉलर का ऋण लिया, लेकिन ऋण की शर्तों ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को काफी कमजोर किया।
- इसके बाद आर्थिक संकट की मजबूत पृष्ठभूमि तब और तैयार हो गयी जब कोलंबो में अप्रैल 2019 में ईस्टर के दौरान बम विस्फोटों की घटना हुई ।
- श्रीलंका में पर्यटन अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। आतंकवादी हमले, बम बिस्फोट और उसके बाद कोविड महामारी ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को जर्जर कर दिया । इसके परिणामस्वरूप देश में पर्यटकों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा गया, यहां तक कि श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 80% तक की गिरावट देखी गई। इससे आयात अधिक महंगा हो गया और मुद्रास्फीति पहले से ही नियंत्रण से बाहर हो गई है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों की

लागत 57% बढ़ गई है। यही नहीं चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के निर्यात को नुकसान पहुँचा।

- वर्ष 2019 में सत्ता में आई गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने निम्न कर दरों और किसानों के लिये व्यापक रियायतों के द्वारा स्थिति को और भी बदतर बना दिया।
- सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 10% से भी अधिक हो गया और 'ऋण-जीडीपी अनुपात' वर्ष 2019 में 94% के स्तर से बढ़कर वर्ष 2021 में 119% हो गया।
- वर्ष 2021 में सरकार ने सभी उर्वरक आयातों पर श्रीलंका में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अचानक श्रीलंका को 100% जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा ने खाद्यान्न उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

इस प्रकार श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा का लगातार मूल्यह्रास और तेज़ी से गिरते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बाद आर्थिक संकट के साथ राजनैतिक संकट भी प्रारंभ हो गया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन प्रारम्भ हो गए । प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास को जला दिया और राष्ट्रपति भवन पर कब्ज़ा कर लिया ।

भारत की भूमिका

- भारत श्रीलंका में आर्थिक संकट शुरू होने के बाद से सहायता के लिए आगे आया है। भारत ने जरूरी चीजों के आयात के लिए मदद के तौर पर स्वैप पेमेंट के रूप में तुरंत एक बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की सहायता की पेशकश की। अप्रैल में भारत ने पांच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर भी दिए। खाद्यान्न इत्यादि के माध्यम से भी भारत लगातार सहायता कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने श्रीलंका का दौरा भी किया।
- भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उन कई चुनौतियों से अवगत हैं जिनका श्रीलंका और उसके लोग सामना कर रहे हैं और हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने इस कठिन दौर से पार पाने की कोशिश की है। हमारी **नेबरहुड फर्स्ट नीति** के तहत भारत ने इस वर्ष श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 3.8 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का अभूतपूर्व समर्थन दिया है। भारत का रुख श्रीलंका के लोगों के साथ है जो समृद्धि के लिए अपनी आकांक्षाओं

को वास्तविक रूप देना चाहते हैं और लोकतांत्रिक तरीके और मूल्यों के जरिए प्रगति चाहते हैं।'

- भारत केवल अल्पकालिक और अंशकालिक राहत प्रदान कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका का विदेशी ऋण लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और उसकी विदेशी मुद्रा भंडार समाप्तप्राय है. लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस बर्ष देय है, हालांकि श्रीलंका ने अपनी तरफ से ऋणों की अदायगी नहीं करने का फैसला किया है. ऋणों का पुनर्गठन और वस्तुओं और ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारी मात्रा में ऋण की आवश्यकता होगी और यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के ऋण से ही संभव है , परन्तु कठोर शर्तो का पालन करना काफी दुष्कर होगा।

मुकुंद माधव